न्यायालयः ऋचा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भितरवार
जिला ग्वालियर (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण कमांक :— 1035 / 2022
सीएनआर नंबर एमपी 07050013422022
संस्थित दिनांक : 28 / 10 / 2022
फाईलिंग कमांक :1277 / 2022

(निर्णय की तारीख 28.10.2022)
(प्रकरण संख्या 1035 / 2022)

(प्र0सू0रि0 / अपराध और पुलिस थाने का विवरण, अपराध क0 149 / 2020 अपराध अंतर्गत धारा 34(1) आबकारी अधिनियम,1915 पुलिस थाना चीनौर, जिला ग्वालियर म0प्र0)

अभियोजन	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा, थाना प्रभारी, पुलिस थाना चीनौर जिला ग्वालियर (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा—	श्री राधाबल्लभ एडीपीओ।
अभियुक्त	गोविन्द बंजारा पिता कप्तान बंजारा उम्र—24 वर्ष, निवासी—हनुमान टेकरी ग्राम बनवार थाना चीनौर जिला ग्वालियर म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा—	___

अपराध की तारीख	05.09.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	05.09.2020
आरोप पत्र की तारीख	28.10.2022
आरोप विरचना की तारीख	28.10.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	—
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	28.10.2022
दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 / — रूपये अर्थदण्ड अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 07 (सात) दिवस का कठोर कारावास

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दंडादेश	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं0प्र0सं0 के प्रयोजनार्थ विचारार्थ के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	गोविन्द बंजारा पिता कप्तान बंजारा	05.09.2020	05.09.2020	धारा 34(1) आबकारी अधिनियम, 1915	दोषसिद्ध	न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/– रूपये अर्थदंड । अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 07 (सात) दिवस का कठोर कारावास	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

अभियोजन, प्रतिरक्षा, न्यायालयीन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

अभियोजन, प्रतिरक्षा, न्यायालयीन प्रदर्श की सूची

स0क0	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

आवश्यक वस्तुएं

स0क0	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
—	—	—

––:: <u>नि र्ण य</u> ::––

<u>(आज दिनांक 28.10.2022 को घोषित)</u>

1. अभियुक्त गोविन्द्र सिंह बंजारा पर म.प्र. आबकारी अधिनिमय 1915 की धारा 34(1)(क) के अन्तर्गत आरोप है कि उसके पास बिना वैध अनुज्ञप्ति के दिनांक 05.09.2020 को लगभग 20.00 बजे से 20.10 बजे के मध्य स्थान हनुमान टेकरी ग्राम बनवार थाना चीनोर जिला ग्वालियर के पास 05 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब जिसकी कीमत लगभग 500/–रूपये पायी गयी।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना चीनौर जिला ग्वालियर के प्रधान आरक्षक मनीराम राजे दिनांक 05.09.2020 मय फोर्स इलाका भ्रमण पर थे। दौराने अपराध विवेचना ग्राम बनवार थाना चीनोर में जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हनुमान टेकरी ग्राम बनवार उसके घर के सामने कच्ची शराब बेच रहा है। मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा तो एक आदमी पुलिस को आता देख भागने लगा, जिसे घेरा डालकर पकडा। उक्त व्यक्ति के कब्जे से प्लास्टिक की कट्टी को चैक किया तो उसमें 05 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब जिसकी कीमत लगभग 500/–रूपये मिली, नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गोविन्द बंजारा पिता कप्तान बंजारा उम्र–24 वर्ष, निवासी–हनुमान टेकरी ग्राम बनवार थाना चीनौर जिला ग्वालियर म0प्र0 का बताया। शराब रखने एवं बेचने का लायसेंस पूछने पर लायसेंस न होना बताया। उक्त कृत्य धारा 34(1) (क) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया। विवेचना दौरान उक्त शराब को जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। तथा जांच हेतु शराब भेजी गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र छः माह की प्रावधानिक अवधि समाप्त हो जाने के कारण, राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर अभियोग पत्र दिनांक 28.10.2022 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने आरोपित अपराध स्वेच्छया स्वीकार किया है। उनकी स्वीकारोक्ति को स्वेच्छया पाते हुये अभियुक्त <u>गोविन्द बंजारा पिता कप्तान बंजारा उम्र–24 वर्ष, निवासी–हनुमान टेकरी ग्राम बनवार थाना चीनौर जिला ग्वालियर म0प्र0</u> को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अपराध के लिये **दोषसिद्ध** ठहराया जाता है।

4. अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुये अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई अभिवाक् अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं लिया गया है, अतः प्रकरण के सभी तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुये इस न्यायालय के मत में अभियुक्त को उनकी प्रथम दोषसिद्धि के परिप्रेक्ष्य में मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध के समानुपातिक दण्ड उन्हें मिल जाना परिलक्षित होता है। अतः अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की अवस्था तथा प्रकरण के सभी तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुये अभियुक्त को म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अपराध के लिये **न्यायालय उठने तक का कारावास व 500/–(पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित** किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को **07 (सात) दिवस** का कठोर कारावास भुगताया जाए।

6. प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा। न्यायिक अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में पृथक से संलग्न किया जावे।

7. प्रकरण में जब्तशुदा 05 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब अवधि पश्चात् अपील न होने की स्थिति में नष्ट की जाए। अपील होने की स्थिति में यह आदेश माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगा।

8. निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे।

दिनांक 28.10.2022
स्थान–तह0 भितरवार, जिला ग्वालियर

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।	मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
(ऋचा शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)	**(ऋचा शर्मा)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

RICHA SHARMA

Digitally signed by RICHA SHARMA
DN: c=IN, o=DISTRICT AND SESSIONS COURT GWALIOR, ou=DISTRICT AND SESSIONS COURT GWALIOR, 2.5.4.20=f5b004c82670b21a67f6574f6ec371d5a55e8549131c7b9bc530711f1540eaf7, postalCode=474001, st=Madhya Pradesh, serialNumber=B03A2B7BE219ABE8575CE80B7A3C8017E3EECAA890B2F71AEDE2AF37F6B24438, cn=RICHA SHARMA
Date: 2022.10.28 04:15:51 +05'30'